प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2025

विषय:- जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ नरेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र भदौरिया उर्फ भइया उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजबहादुर, निवासी जनपद-बाँदा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-38867/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.12.2024), दिनांक-10.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ नरेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र भदौरिया उर्फ भइया उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजबहादुर, निवासी-नौगवां, थाना-कालिंजर, जनपद-बाँदा का निवासी है। एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड़ फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-140/2007, 27/2008, 29/2008, 59/2012, 94/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 व सपठित धारा-12, 307/149 व 12 द०प्र०क्षे०अधि०, 147, 148 व 7 क्रि०ला० अमेन्डमेन्ट एक्ट में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०), बाँदा के आदेश दिनांक 30.06.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 14.01.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी ठोकिया गिरोह में शामिल रहा है। बन्दी जघन्य अपराधी किस्म का होने, बन्दी की उम्र लगभग 48 वर्ष है। रिहा होने के बाद पुनः अपराध कर सकता है। पुनः अपराध करने में स्वास्थ्य होने, बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया था पुनः छूटने पर अपराध कर सकता है। बन्दी जघन्य अपराधी किस्म का रहा है। अतः समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त नहीं पाया गया तथा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड़ फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ नरेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र भदौरिया उर्फ भइया उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र राजबहादुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ नरेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र भदौरिया उर्फ भइया उर्फ धर्मेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-197/2022) पुत्र श्री राजबहादुर, निवासी जनपद-बाँदा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-270/2025/2271(1)/22-2-2024 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-270/2025/2271/22-2-2024-17(16)/2025

दिनांक 17 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ नरेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र भदौरिया उर्फ भइया उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजबहादुर, निवासी-नौगवां, थाना-कालिंजर, जनपद-बाँदा का निवासी है। एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड़ फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-140/2007, 27/2008, 29/2008, 59/2012, 94/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 व सपठित धारा-12, 307/149 व 12 द०प्र०क्षे०अधि०, 147, 148 व 7 क्रि०ला० अमेन्डमेन्ट एक्ट में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०), बाँदा के आदेश दिनांक 30.06.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 14.01.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी ठोकिया गिरोह में शामिल रहा है। बन्दी जघन्य अपराधी किस्म का होने, बन्दी की उम्र लगभग 48 वर्ष है। रिहा होने के बाद पुनः अपराध कर सकता है। पुनः अपराध करने में स्वास्थ्य होने, बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया था पुनः छूटने पर अपराध कर सकता है। बन्दी जघन्य अपराधी किस्म का रहा है। अतः समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त नहीं पाया गया तथा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड़ फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ नरेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र भदौरिया उर्फ भइया उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र राजबहादुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in